

पत्र संख्या-वैट/विधि-1(1) भाग-2 विज्ञप्तियां (09-10)- 16/ 0910003 / वाणिज्य कर
प्रेषक,

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,
समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ // दिनांक // 6 अप्रैल, 2009

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं०- वैट/विधि-1(1) भाग-2 विज्ञप्तियां (08-09) 1188/
वाणिज्य कर दि० 12-02-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विज्ञप्ति संख्या-क०नि०-
357/ग्यारह-9-(856)/92-उ०प्र०अधि०-5-2008-आदेश-(42)-2009 दि० 12-2-09 की प्रति आपको
प्रेषित की गयी थी ।

उक्त विज्ञप्ति में यह शर्त दी गयी थी कि सहकारी समितियों को दी गयी रसायनिक
उर्वरक की बिक्री पर उर्वरक के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर अदा हो जाने का प्रमाण पत्र का
प्रपत्र कमिशनर द्वारा निर्धारित किया जाएगा । अतः विज्ञप्ति में दी गयी शर्तों के क्रम में
कमिशनर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र का प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से भेजा
जा रहा है कि आप प्रमाण पत्र के प्रपत्र की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ
समस्त कर निर्धारण अधिकारियों / व्यापारिक संघों को उपलब्ध करायें तथा इसका व्यापक
प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

ह०/-

(डा० आर०के० सिंह)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सहकारी समितियों को की गयी रासायनिक उर्वरक की बिक्री पर उर्वरक के

अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर अदा हो जाने का प्रमाण पत्र

(विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-357/ग्यारह-9-(856)/92-उ0प्र0 धि0-5-2008-आदेश-(42)-2009 दि0 12-2-09 के अन्तर्गत कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा निर्धारित)

1. विक्रेता का नाम
2. विक्रेता का पूर्ण पता
3. टिन नं0

प्रमाणित किया जाता है मेरे/हमारी फर्म/हमारी कम्पनी द्वारा निम्न क्रेता, जो उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति है, को निम्न विवरण के अनुसार रासायनिक उर्वरक की बिक्री की गई है तथा इसके अधिकतम खुदरा मूल्य पर उ0प्र0 वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान कर दिया गया है :-

1. क्रेता का नाम
- 1- क्रेता का पूर्ण पता
- 2- टिन नं0

रासायनिक उर्वरक का नाम	मात्रा	टैक्स इनवाइस की सं0 व दि0	अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार उर्वरक का मूल्य	देयकर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6

दिनांक ::

विक्रेता/विक्रेता की ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नोट :-

- 1- विक्रेता द्वारा क्रेता को उक्त प्रमाणपत्र मासिक रूप से क्रमांकित बाउण्डेड बुक से जारी किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति बाउण्डेड बुक में सुरक्षित रखी जायेगी ।
- 2- विक्रेता द्वारा माह के दौरान जारी किये गये ऐसे प्रमाणपत्रों की सूची, बिक्री व भुगतान किये गये कर के विवरण के साथ माह के रिटर्न के साथ ही कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी ।